Result Mitra IAS/PCS Daily Magazine Content

Rate Hole Mining

➢ हालिया संदर्भ :

- असम के दीमा हसाओ जिले में Rate Hole Mining में पानी भर जाने से कई मजदूर फंस गए है।
- रिपोर्ट के अनुसार, यह माइन 200–300 Feet गहरा है, जिसमें से पानी निकालने के लिए कार्य–गति बेहद धीमी है। हालांकि राष्ट्रीय आपदा राहत बल (NDRF) एवं राज्य आपदा राहत बल (SDRF) की टीम सहायतार्थ घटनास्थल पर पहुंच गई है।

➢ Rat Hole Mining :

- ** यह मुख्यत: मेघालय राज्य में प्रचलित है लेकिन पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में इसका प्रचलन रहा है।
- *** इसका संबंध खनन (Mining) की ऐसी प्रणाली से है, जिसमें एक बेहद संकीर्ण गड्ढा खोदा जाता है तथा श्रमिकों द्वारा अंदर जाकर आदिम औजारों जैसे कुदाल, फावड़े आदि के प्रयोग से कोयला निकाला जाता है।
- सामान्यत: यह इतना संकरा होता है कि एक बार में एक व्यक्ति ही अंदर–बाहर जा–आ सकता है।

➢ प्रकार :

- मोटे तौर पर यह दो प्रकार का होता है –

1. साइड–कटिंग प्रक्रिया में संकरा गड्ढा खोदा जाता है, जब तक कि कोयला मिलना प्रारंभ न हो जाए।

- सामान्यतः मेघालय की पहाड़ियों में कोयले की परत बहुत पतली होती है और यह 2 मीटर की गहराई पर कोयले को उपलब्ध करवाता है।

2. बॉक्स–कटिंग प्रणाली में एक बड़ा आयताकार गड्ढा खोदा जाता है, जो विस्तृत एवं ज्यादा गहराई वाला होता है।

- इस प्रणाली में एक बार कोयले की परत प्राप्त हो जाने के बाद संकरे गड्ढे खोदे जाते हैं, जहां से श्रमिक कोयले का खनन करते हैं।

➢ पर्यावरणीय प्रभाव :

- क्षेत्र के जल स्रोत अम्लीय होते जा रहे हैं।
- जल–निकायों में सल्फेट, आयरन एवं अन्य विषैले तत्वों की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे जल प्रदूषित होता जा रहा है।
- संकरे गड्ढे के अचानक ढह जाने या पानी भर जाने से श्रमिकों के फंसने की संभावना काफी बढ़ जाती है।

- कोयले की गलत तरीके से डंपिंग एवं कोयले परिवहन के लिए जंगली रास्तों से ट्रकों के यातायात के कारण क्रमशः वायु प्रदूषण बढ़ता है एवं प्राकृतिक पारितंत्र को नुकसान पहुंचता है।
- पर्यावरणीय प्रभावों के अलावा यह क्षेत्र के निवासियों के जीवन को जोखिम में डालने वाला भी है क्योंकि उचित वेंटिलेशन के अभाव एवं अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के कारण कई बार जान से हाथ धोना पड़ता है।
- उपरोक्त समस्याओं एवं नकारात्मक प्रभावों के बावजूद यह अब भी प्रचलन में बना हुआ है, जिसका प्रमुख कारण यह है कि ऐसी माइनिंग क्षेत्रीय लोगों के लिए आजीविका के स्रोत है।

➢ **प्रतिबंधन :**

- *** लगातार बढ़ते मामले एवं दुर्घटनाओं के बाद इस मामले पर सुनवाई करते हुए NGT (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) ने वर्ष 2014 में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे 2015 में भी बरकरार रखा गया।
- ** NGT का यह निर्देश एवं Rat–Hole Mining पर प्रतिबंध मेघालय के लिए था। इस फैसले के बाद मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में अपील की थी।
- SC ने 2019 में Rat–Hole Mining पर NGT के प्रतिबंध को खारिज कर दिया लेकिन मेघालय सरकार को इसे रोकने के संबंध में कई दिशा–निर्देश जारी किए।

Note :– Rat–Hole Mining पर प्रतिबंध लगाने से प्रभावित समुदाय को MNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट) के तहत काम दिलवाने के लिए NGT ने विशेष दिशा–निर्देश दिए थे।

Note :– SC के फैसले के बाद मेघालय में वैज्ञानिक तरीके से Rat–Hole Mining की अनुमति प्राप्त है।

➢ ****** NGT :**

- यह एक सांविधिक (Statutory) संस्था है, क्योंकि इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी।

- पर्यावरणीय विशिष्ट संस्था स्थापित करने वाला भारत दुनिया का पहला विकासशील जबकि कुल मिलाकर तीसरा देश बना।
- भारत से पूर्व केवल ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में ही इस प्रकार की कोई संस्था स्थापित थी।
- इसका HQ नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता एवं चेन्नई में है।

➢ उद्देश्य :

- इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य देशभर में पर्यावरण संबंधित मुद्दों का तेजी से निपटारा कर न्यायपालिकाओं पर से मुकदमे के भार को कम करना है।
- *** NGT एक्ट, 2010 के अनुसार, अगर पर्यावरण संबंधी मामला NGT के पास लाया जाता है तो उस मामले की सुनवाई एवं निपटारा NGT को अनिवार्यत: 6 महीने के भीतर करना होगा।
- *** SC के फैसले के अनुसार, NGT के पास पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों पर स्वत: संज्ञान (Suo Motu) लेने का अधिकार है।
- *** NGT एक वैधानिक निकाय है, जिसके तहत इसके पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी मौजूद है।
- *** NGT के किसी निर्णय को सिर्फ SC में चुनौती दी जा सकती है, जो NGT के फैसले के 90 दिनों के भीतर होनी चाहिए।
- NGT के पास दंड देने की भी शक्ति है, जो आर्थिक एवं करवास दोनों से संबंधित है।

➢ संरचना :

- अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य एवं पर्यावरण विशेषज्ञ सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।
- ** इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष (अधिकतम उम्र) जो भी पहले पूरा हो, का होता है तथा ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं।

- अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से होती है, जबकि सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार चयन समिति का गठन करती है।

Note :– पूर्णकालिक सदस्यों एवं विशेषज्ञ सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 एवं अधिकतम 20 होनी चाहिए।

➢ *** **कानूनी शक्ति :**

- NGT को निम्न कानूनों से संबंधित मामलों में स्वत: संज्ञान लेने एवं सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है तथा इनसे संबंधित किसी भी मामले में सरकार के खिलाफ NGT में चुनौती दी जा सकती है।

1. जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट, 1974
2. जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण सेस एक्ट, 1977
3. वन संरक्षण एक्ट, 1980
4. वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट, 1981
5. पर्यावरण संरक्षण एक्ट, 1986
6. जैव विविधता एक्ट, 2002

Result Mitra

➢ **NDRF :**

- यह आपदा राहत से संबंधित एक विशेष दल है, जिसे आपदा प्रबंधन एक्ट (Disaster Management Act), 2005 के तहत स्थापित किया गया था।
- ** यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है।
- *** यह NDMA (National Disaster Management Authority) के अधीन आता है, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं।

MCQ–1 : कभी-कभी समाचार पत्रों में 'Rat–Hole Mining' (रैट–होल–माइनिंग) शब्दांश दिखाई देता है, जिसका प्रत्यक्ष संबंध है–

a) कोयला एवं दक्षिण भारत से,
b) कोयला एवं पूर्वोत्तर भारत से,
c) लोहा एवं पूर्वोत्तर भारत से,
d) लोहा एवं दक्षिण भारत से

Ans.–(b)

MCQ–2 : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) से संबंधित कथनों में से सत्य कथन/कथनों के आधार पर उचित विकल्प का चयन करें–

1. यह एक गैर–संवैधानिक एवं गैर–वैधानिक निकाय है।
2. पर्यावरणीय मामलों में इसके द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है।
3. इसके पास आर्थिक दंड देने की शक्ति निहित है, लेकिन कारावास संबंधी किसी प्रकार की शक्ति इसके पास नहीं है।
4. इसके अध्यक्ष एवं सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं।

a) केवल 1 एवं 3
b) केवल 2 एवं 3
c) केवल 1 एवं 4
d) केवल 2 एवं 4

Ans.–(d)

Mains–1 : रैट–होल–माइनिंग क्या है ? इसके पर्यावरणीय प्रभाव को समझाते हुए इसका वैकल्पिक उपाय सुझाइए।

हम आपको रिजल्ट देने आये हैं.

Result Mitra

1- UPSC(IAS) COMPLETE GS -5999 ₹.

2- NCERT for IAS/PCS -2499 ₹

3- ESSAY for IAS/PCS- 2199 ₹

4- UPSC PRELIMS TEST SERIES - 1399 ₹

5- सभी राज्यों के लिए टेस्ट सीरीज - 1399 ₹

कोर्स या Test Series के लिए

WhatssApp कीजिये

9235313184, 9235446806